HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - साइबर क्राइम **दिनांक 01.02.2025**

“किसानों से सोलर पम्प दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार”

- थाना साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को सोलर पम्प दिलाने के नाम पर कृषि विभाग का अधिकारी/कर्मचारी बनकर कॉल करके उनके बैंक खातों से धोखाधडी से धनराशि की निकासी करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को किया गिरफ्तार।
- जिसके कब्जे से 03 मोबाइल फोन, कृषि विभाग की फर्जी रसीदें व नकदी बरामद।
- अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर ठग हैं, जो कृषि विभाग की वेबसाइट Agriculture.up.gov.in से डाटा लेकर एवं कृषि विभाग का अधिकारी/कर्मचारी बनकर लोगों को उनके मोबाइल नम्बर पर कॉल करके कृषि सोलर पम्प के लिये किये गये आवेदन की पैमेंट की तारीख निकलने की बातों में फंसाकर उनसे फर्जी खातों में सोलर पम्प लेने हेतु पैसे ट्रांसफर करा लेते थे।
- अभियुक्त द्वारा सोलर पम्प दिलाने के नाम पर अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कारित करते हुए लाखों रूपये की ट्रांजेक्शन कर आर्थिक लाभ कमाया जा चुका है।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराध एवं अपराध करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा थाना बाबूगढ़ के मु0अ0सं0 11/2025 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि 66डी आईटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुए लोगों को सोलर पम्प दिलाने के नाम पर कृषि विभाग का अधिकारी बनकर कॉल करके उनके बैंक खातों से धोखाधडी से धनराशि की

निकासी करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 03 मोबाइल फोन, कृषि विभाग की फर्जी रसीदें व नकदी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीकाः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कृषि विभाग की सरकारी वेबसाइट **Agriculture.up.gov.in** से लोगों के द्वारा सोलर पम्प लेने हेतु किये आवेदन के डाटा से जिसमें नाम-पता व मोबाइल नम्बर की जानकारी होती है फिर मैं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बनकर लोगों को उनके मोबाइल नम्बर पर कॉल करके कृषि सोलर पम्प के लिये किये गये आवेदन की पैमेंट की तारीख निकलने की बातों में फंसाकर उनसे फर्जी खातों में सोलर पम्प लेने हेतु पैसे ट्रांसफर करा लेता हूं। इसी प्रकार मैंने हापुड के रहने वाले व्यक्ति के नाम पते की जानकारी उपरोक्त कृषि विभाग की वेबसाइट से लेकर उनको कॉल करके कृषि सोलर पम्प के लिये किये गये आवेदन की पैमेंट की तारीख निकलने की बातों में फंसाकर उनसे फर्जी खाते में सोलर पम्प लेने हेतु 2,86,164/- रूपये ट्रांसफर करा लिये थे।

गिरफ्तारी का स्थानः- किठौर रोड पर दोयमी को जाने वाले रास्ते से, **दिनांक-** 01.02.2025।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रदीप वर्मा पुत्र ब्रह्मजीत सिंह निवासी ग्राम पूठपुरा कल्याणपुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 3,000/- रूपये नकदी।
2. 03 मोबाइल फोन।
3. कृषि विभाग की फर्जी रसीदें।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नजीर अली खान थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड़।
2. निरीक्षक श्री मनीष चौहान थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री विनीत मलिक थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड।
4. है0का0 सतेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड।
5. है0का0 संजीव कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड।